FIRST INFORMATION REPORT
(Under Section 154 Cr.P.C.)

1. **District**: STATE VIG. BUREAU PS: SVB AMBALA **Year**: 2014 **FIR No**: 11 **Date**: 18-12-14

2. **Act(s)**: **Section(s)**
   (i) PREVENTION OF CORRUPTION ACT 1988 — 7
   (ii)
   (iii)
   (iv)

3. **Occurrence of Offence:**
(a) **Day**: Thursday **Date From**: 18-12-14 **Date To:** 18-12-14
Time Period: **Time From:** **Time To**:
(b) **Information received at P.S:** **Date:** 18-12-14 **Time**: 9:00
(c) **General Diary Reference:** **Entry No.: 04** **Time:** 9:00

4. **Type of Information: WRITTEN**

5. **Place of Occurrence:**
(a) Direction and Distance from P.S.: East 40 KM **Beat No**.:
(b) Address Vakf Board Narayangarh Distt Ambala
(c) In case, Outside the limit of the Police Station:
Name of P.S: **District:**

6. **Complainant/Informant**:
(a) **Name: Dr Prem Kumar Sharma S/o Rameshwar Dass Sharma**
(a) **Birth year:** **Nationality:** INDIAN
(b) **Passport No.** **Date of issue:** **Place of Issue:**
(c) **Occupation:**
(d) **Address:** H. 99/100 near Shiv Mandir Sunder Nagar Ambala Cant
(e)
(f) **Details of known/Suspect/Unknown accused with full particulars(attach separate sheet if necessary):**

7. Yashin Khan Rent Collector Vakf Board Narayangarh Distt Ambala

8. Reason for delay in reporting by the complainant/informant:

9. Particulars of the properties stolen/involved(attach separate sheet if necessary):

SI.No.	**Property Type (Description)**	**Est. Value (Rs.)**	**Status**
(i)			
(ii)			
(iii)			

10. Total value of property stolen:

11. Inquest Report/U.D Case No., if any

12. **F.I.R Contents (attach separate sheet, if required):**

सेवा मे, इन्सपैक्टर, स्टेट विजीलैस, अम्बाला। निवेदन है कि मै डा० प्रेम कुमार शर्मा पुत्र श्री रामशेवर शर्मा वासी म० न० 99/100 नजदीक शिव मन्दिर सुन्दर नगर अम्बाला कैन्ट का रहने वाला हुं तथा अपने घर मे ही अपना प्राईवेट कलीनिक चलाता हूं। मैने अपनी पत्नी डा० किरण ज्योती शर्मा के नाम मई 2014 में श्री रोशन लाल पुत्र श्री मोजू राम वासी राउ-माजरा से लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह वासी गावं बहलौली आदि की मार्फत गांव बहलौली मे हरियाणा वक्फ बोर्ड की मलकीयती भूमि खसरा न०57 खतोनी न० 667 की 21 कनाल 9 मरले जमीन (सौलह लाख) रुपये मे 99 साल के पटटे पर ली थी जिसको अपनी पत्नी के नाम ट्रासंफर कराने के लिए रोशन लाल आदि द्वारा दिये गये एग्रीमेन्ट के साथ दिंनाक 02.06.14 को हरियाणा वक्फ बोर्ड नारायणगढ मे प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर हरियाणा वक्फ बोर्ड ने दिंनाक 30.06.14 को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। जब मैने वक्फ बोर्ड कार्यालय मे पता किया तो श्री यासीन खान रैन्ट कोलेक्टर ने मुझे बतलाया की आपकी पत्नी के नाम 21 कनाल 9 मरले भूमि स्वीकृति प्रदान हो चुकी है आप 8 हजार रुपये प्रति एकड की दर से लगभग 24000/- रुपये सरकारी फीस सहीत 3,40,000 रुपये मुझे दे दो तो मै आपकी पत्नी के नाम अलॉटमैन्ट पत्र् जारी करवा दूगां। मैने उसको कहा कि आप मेरे से सरकारी फीस ले लो यह जमीन मैने 16,00,000/- रुपये में ली है। इस समय मै 3,40,000 रु० देने की स्थिति में नही हूं परन्तु वह नही माना व उसने मेरे से सरकारी फीस नही ली। मैंने मजबूरी वश बडी मुशकिल से 50/50 हजार रुपये तैयार करके दो बार मे कुल 1 लाख रुपया दे दिये परन्तु उसने मुझे सरकारी फीस की रसीद नही दी और 2 लाख 40 हजार रु० लेने के लिए ओर मांग की। मै इतनी बडी रकम उसको दे नही सका। श्री यासीन खान रेन्ट कोलेक्टर ने दिनांक 10.10.14 को मेरी पत्नी के नाम 21 कनाल 9 मरले की बजाये केवल 18 कनाल भूमि अलॉट करने के लिए सरकारी फीस जमा करवाने के लिए नोटिस जारी कर दिया परन्तु मेरे बार-बार पूछने पर भी इसका कारण नही बताया व 2 लाख 40 हजार रुपये रिशवत लेने के लिए मांग कर रहा है। मैने मजबूरी वश उसको 2 लाख 40 हजार रुपये रिशवत के देने की हां कर दी परन्तु मेरे पास केवल 1 लाख 30 हजार रुपये ही तैयार हो सके जिसके बारे मैने कल भी श्री यासीन खान रैन्ट कोलेक्टर हरियाणा वक्फ बोर्ड नारायण गढ से

उसके मोबाईल फोन पर अपने मोबाईल फोन से बात की जिस पर वह 1 लाख 30 हजार रुपये पहले व बकाया बाद मे लेने पर राजी हो गया। जिसने रिशवत की राशी लेकर मुझे आज अपने कार्यालय नारायणगढ मे बुलाया है। मैं उसको रिशवत की राशी देना नही चाहता परन्तु श्री यासीन खान रिशवत की राशी लिए बिना मेरी पत्नी के नाम अलाट मैन्ट पत्र जारी नही करवा रहा है। इसलिए मैं 500/500 रुपये वाले 260 नोट कुल 1,30,000/- रुपये लेकर आपके पास आया हूं। जे अपनी शिकायत के साथ आपको पेश कर रहा हूं। श्री यसीन खान रैन्ट कोलेक्टर हरियाणा वक्फ बोर्ड नारायाण गढ के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाऐ। SD-डा० प्रेम कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेशवर शर्मा वासी म० न० 99/100 नजदीक शिव मन्दिर सुन्दर नगर अम्बाला कैन्ट, मो० 86076-13788 दिंनाक 18.12.2014 कार्यवाही पुलिस- आज मन नि० अपने कार्यालय मे स्टाफ सहित हाजिर हूं कि डा० प्रेम कुमार मुदई उपरोक्त ने हाजिर आकर एक टाईप शुदा शिकायत विरुद्ध श्री यासीन खान रेन्ट कोलेक्टर हरियाणा वक्फ बोर्ड नारायणगढ अम्बाला बाबत मांगने रिशवत 500/500 रु वाले 260 करंसी नोट कुल 1 लाख 30 हजार रु० पेश किये। सभी नोटो को फर्द सूचि नोट द्वारा कब्जा पुलिस मे लिया। फर्द पर मुदई ने अपने हस्ताक्षर किये फिर ASI भीम सिंह प्रवाचक खुद, EHC बीरबल 1080/KNL C सुशील कुमार 370 KKR C धर्मबीर सिंह 1553/AMB को शामिल करके रैंडिग पार्टी तैयार की गई। दरखास्त मुदई से सूरत जुर्म 7 PC ACT 1988 का सरजद होना पाया गया। समय बहुत कम है। इसलिए तहरीर बराए कायमी मुकदमा बदस्त सि. धर्मयुधिष्ठर 148/KKR SVB अम्बाला भेज कर अनुरोध है कि तहरीर हजा पर मुकदमा दर्ज करके नम्बर मुकदमा से अवगत करवाया जाए तथा FIR की एक प्रति बतौर स्पैशल रिपोर्ट सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट भेजी जावे। पुलिस मिशल मय असल तहरीर मन निरीक्षक के पास मौका पर भिजवाई जावे व FIR की अन्य प्रतियां बाला तरान अफसरान के पास भिजवाई जावे। मन नि० मय मुदई मय रैडिंग पार्टी बा सवारी गाडी सरकारी HR37C-2626 जिसका चालक सि० अशोक कुमार 486/AMB है के बराए तफतीश मुकदमा रवाना मौका का होता हूँ। उपायुक्त महोदय अम्बाला से अनुमति रेड व डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करवा कर शामिल रैडिंग पार्टी किया जाएगा। तफतीशी बैग हमरा है। SD-राजिन्द्र कुमार निरिक्षक राज्य चौकसी ब्युरो अम्बाला। दिनांक 18.12.2014 समय 9 AM अज थाना- हस्ब आमद उपरोक्त तहरीर प्राप्त होने पर बा हवाला रपट न० 4 समय 9 AM पर मुकदमा नम्बर11 दिनाकं 18-12-2014 धारा 7 PC ACT 1988 दर्ज रजि० किया जाकर प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रति बतौर स्पैशल रिपोर्ट मय असल तहरीर सिपाही धर्मयुधिष्टर 148/KKR को देकर हिदायत की गई की पहले स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब अम्बाला को देगा फिर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर बर मौका अनुसंधान अधिकारी के पास जाएगा प्रथम सुचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्च अधिकारियो की सेवा में अलग से भेजी जा रही है।

सेवा मे, इन्सपैक्टर, स्टेट विजीलैंस, अम्बाला। निवेदन है कि मैं डा० प्रेम कुमार शर्मा पुत्र श्री रामशेवर शर्मा वासी म० न० 99/100 नजदीक शिव मन्दिर सुन्दर नगर अम्बाला कैन्ट का रहने वाला हुं तथा अपने घर मे ही अपना प्राईवेट कलीनिक चलाता हूं। मैने अपनी पत्नी डा० किरण ज्योती शर्मा के नाम मई 2014 में श्री रोशन लाल पुत्र श्री मोजू राम वासी राउ-माजरा से लखविन्द्र सिंह पुत्र श्री अमर सिंह वासी गावं बहलौली आदि की मार्फत गांव बहलौली मे हरियाणा वक्फ बोर्ड की मलकीयती भूमि खसरा न०57 खतोनी न० 667 की 21 कनाल 9 मरले जमीन (सौलह लाख) रुपये मे 99 साल के पट्टे पर ली थी जिसको अपनी पत्नी के नाम ट्रासंफर कराने के लिए रोशन लाल आदि द्वारा दिये गये एग्रीमेन्ट के साथ दिंनाक 02.06.14 को हरियाणा वक्फ बोर्ड नारायणगढ मे प्रार्थना पत्र दिया था जिस पर हरियाणा वक्फ बोर्ड ने दिंनाक 30.06.14 को स्वीकृति प्रदान कर दी थी। जब मैंने वक्फ बोर्ड कार्यालय मे पता किया तो श्री यासीन खान रैन्ट कोलेक्टर ने मुझे बतलाया की आपकी पत्नी के नाम 21 कनाल 9 मरले भूमि स्वीकृति प्रदान हो चुकी है आप 8 हजार रुपये प्रति एकड की दर से लगभग 24000/- रुपये सरकारी फीस सहीत 3,40,000 रुपये मुझे दे दो तो मै आपकी पत्नी के नाम अलॉटमैन्ट पत्र जारी करवा दूगां। मैंने उसको कहा कि आप मेरे से सरकारी फीस ले लो यह जमीन मैंने 16,00,000/- रुपये में ली है। इस समय मैं 3,40,000 रु० देने की स्थिति में नही हूं परन्तु वह नही माना व उसने मेरे से सरकारी फीस नही ली। मैंने मजबूरी वश बडी मुशकिल से 50/50 हजार रुपये तैयार करके दो बार मे कुल 1 लाख रुपया दे दिये परन्तु उसने मुझे सरकारी फीस की रसीद नही दी और 2 लाख 40 हजार रु० लेने के लिए ओर मांग की। मै इतनी बडी रकम उसको दे नही सका। श्री यासीन खान रेन्ट कोलेक्टर ने दिनांक 10.10.14 को मेरी पत्नी के नाम 21 कनाल 9 मरले की बजाये केवल 18 कनाल भूमि अलॉट करने के लिए सरकारी फीस जमा करवाने के लिए नोटिस जारी कर दिया परन्तु मेरे बार-बार पूछने पर भी इसका कारण नही बताया व 2 लाख 40 हजार रुपये रिशवत लेने के लिए मांग कर रहा है। मैने मजबूरी वश उसको 2 लाख 40 हजार रुपये रिशवत के देने की हां कर दी परन्तु मेरे पास केवल 1 लाख 30 हजार रुपये ही तैयार हो सके जिसके बारे मैंने कल भी श्री यासीन खान रैन्ट कोलेक्टर हरियाणा वक्फ बोर्ड नारायण गढ से उसके मोबाईल फोन पर अपने मोबाईल फोन से बात की जिस पर वह 1 लाख 30 हजार रुपये पहले व बकाया बाद मे लेने पर राजी हो गया। जिसने रिशवत की राशी लेकर मुझे आज अपने कार्यालय नारायणगढ मे बुलाया है। मै उसको रिशवत की राशी देना नही चाहता परन्तु श्री यासीन खान रिशवत की राशी लिए बिना मेरी पत्नी के नाम अलाट मैन्ट पत्र जारी नही करवा रहा है। इसलिए मैं 500/500 रुपये वाले 260 नोट कुल 1,30,000/- रुपये लेकर आपके पास आया हूं। जे अपनी शिकायत के साथ आपको पेश कर रहा हूं। श्री यसीन खान रैन्ट कोलेक्टर हरियाणा वक्फ बोर्ड नारायाण गढ के खिलाफ कानूनी कार्यवाही की जाऐ। SD-डा० प्रेम कुमार शर्मा पुत्र श्री रामेशवर शर्मा वासी म० न० 99/100 नजदीक शिव मन्दिर सुन्दर नगर अम्बाला कैन्ट, मो० 86076-13788 दिंनाक 18.12.2014 कार्यवाही पुलिस- आज मन नि० अपने कार्यालय मे स्टाफ सहित हाजिर हूं कि डा० प्रेम कुमार मुदई उपरोक्त ने हाजिर आकर एक टाईप शुदा शिकायत विरुद्ध श्री यासीन खान रेन्ट कोलेक्टर हरियाणा वक्फ बोर्ड नारायणगढ अम्बाला बाबत मांगने रिशवत 500/500 रु वाले 260 करंसी नोट कुल 1 लाख 30 हजार रु० पेश किये। सभी नोटो को फर्द सूचि नोट द्वारा कब्जा पुलिस मे लिया। फर्द पर मुदई ने अपने हस्ताक्षर किये फिर ASI भीम सिंह प्रवाचक खुद, EHC बीरबल 1080/KNL C सुशील कुमार 370 KKR C धर्मबीर सिंह 1553/AMB को शामिल करके रैंडिग पार्टी तैयार की गई। दरखास्त मुदई से सूरत जुर्म 7 PC ACT 1988 का सरजद होना पाया गया। समय बहुत कम है। इसलिए तहरीर बराए कायमी मुकदमा बदस्त सि. धर्मयुधिष्ठर 148/KKR SVB अम्बाला भेज कर अनुरोध है कि तहरीर हजा पर मुकदमा दर्ज करके नम्बर मुकदमा से अवगत करवाया जाए तथा FIR की एक प्रति बतौर स्पैशल रिपोर्ट सेवा मे ईलाका मैजिस्ट्रेट भेजी जावे। पुलिस मिशल मय असल तहरीर मन निरीक्षक के पास मौका पर भिजवाई जावे व FIR की अन्य प्रतियां बाला तरान अफसरान के पास

भिजवाई जावे। मन नि० मय मुदई मय रैडिंग पार्टी बा सवारी गाडी सरकारी HR37C-2626 जिसका चालक सि० अशोक कुमार 486/AMB है के बराए तफतीश मुकदमा रवाना मौका का होता हूँ। उपायुक्त महोदय अम्बाला से अनुमति रेड व डयूटी मैजिस्ट्रेट नियुक्त करवा कर शामिल रैडिंग पार्टी किया जाएगा। तफतीशी बैग हमरा है। SD-राजिन्द्र कुमार निरिक्षक राज्य चौकसी ब्युरो अम्बाला। दिनांक 18.12.2014 समय 9 AM अज थाना- हस्ब आमद उपरोक्त तहरीर प्राप्त होने पर बा हवाला रपट न० 4 समय 9 AM पर मुकदमा नम्बर11 दिनाकं 18-12-2014 धारा 7 PC ACT 1988 दर्ज रजि० किया जाकर प्रथम सुचना रिपोर्ट की प्रति बतौर स्पैशल रिपोर्ट मय असल तहरीर सिपाही धर्मयुधिष्टर 148/KKR को देकर हिदायत की गई की पहले स्पैशल रिपोर्ट ईलाका मैजिस्ट्रेट साहब अम्बाला को देगा फिर नकल मिशल पुलिस मय असल तहरीर बर मौका अनुसंधान अधिकारी के पास जाएगा प्रथम सुचना रिपोर्ट की अन्य प्रतियां उच्च अधिकारियो की सेवा में अलग से भेजी जा रही है।

Action Taken (Since the above information reveals commission of offence(s) u/s as mentioned at item No.2:

(i) Registered the case and took up the investigation OR
(ii) Directed (Name of the I.O.): Rajinder Kumar
Rank: Inspector
No.: 88/HAP to take up the investigation, OR

(iii) Refused investigation due to:
OR
(iv) Transferred to P.S.(name):
On point of jurisdiction: District:

F.I.R. read over to the complainant/informant, admitted to be correctly recorded and a copy given to the complainant/informant, free of cost:

R.O.A.C.:

14.

(Sushil Kumar Insp)

Signature/Thumb Impression Of The Complainant/Informant:

Signature of Officer
Name
Rank

15.Date and Time of dispatch to the court: